न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2021 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2021/19

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री गिरिराज पिता भूरालाल महाजन, निवासी भीण्ड़र, तहसील भीण्ड़र, जिला उदयपुर।

— विपक्षी

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* *निर्णय* *

दिनांक 13-05-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर द्वारा इस न्यायालय मे पूर्व में प्रकरण 03/2019 RCMS No.2019/00022 प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कसोटिया, हाल तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 323/3 रकबा 4 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी श्री गिरिराज पिता भूरालाल महाजन, निवासी भीण्ड़र के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। विपक्षी के पिता श्री भूरालाल पिता सुखलाल महाजन, निवासी भीण्ड़र को उपखण्ड़ कार्यालय धरियावद के प्रकरण संख्या 792/2006 से दिनांक 20.05.2006 को उक्त भूमि का आवंटन हुआ हैं। उक्त आराजीयात पर विपक्षी का कब्जा नहीं होकर भूमि पथरीली एवं पड़त हैं एवं आवंटन के पश्चात् विपक्षी के पिता अथवा विपक्षी द्वारा कभी काश्त नहीं की गई हैं। भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम मे आ रही है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से विपक्षी के पिता के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें। जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2020 को हुआ। प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लसाड़िया को निर्देश [illegible] है कि वह रात्रि चौपाल मे प्राप्त शिकायत के संदर्भ मे प्रकरण मे विपक्षी को नियमानुसार [illegible] करके साक्ष्य सबूत प्राप्त कर पूर्णतया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 15:55:27 IST
Reason: SelfAttested

विधिनुरूप जांच करे एवं प्रकरण आवंटन निरस्ती योग्य पाया जावे तो नवीन सिरे से प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार लसाडिया द्वारा प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को सूचनापत्र जारी किये जाकर विपक्षीगण को जबाब/सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 21.12.2020 को जबाब प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा आंवटित भूमि पर उनके द्वारा काश्त नहीं की गई है। बल्कि उक्त भूमि पर केवल मात्र प्राकृतिक रुप से घास पैदा होती है। जो कि काश्त की श्रेणी में नहीं आती है। साथ ही सूचना पत्र में विपक्षी को भूमि आंवटन वर्ष के आगामी तीन वर्षो के अर्थात जमाबंदी चौसाला सम्वत् 2064–67 की खसरा गिरदावरी की नकल चाही गयी। परन्तु विपक्षी द्वारा वांछित वर्ष की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत न करके सम्वत 2068–71 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की गयी। जो कृषि भूमि आंवटन नियम की शर्तो की पालना का सत्यापित नहीं करता है। जिससे भी भूमि आंवटन नियम की शर्तो का उल्लघंन जाहिर है। न्यायहित को ध्यान में रखते हुए कार्यालय हाजा की भू–अभिलेख अनुभाग से इस प्रकरण के संबन्ध में वांछित चौसाला गिरदावरी की जॉच कर नकल बाबत् पत्रांक 899/22.12.2020 लिखा गया, जिसकी अनुपालना में प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 32/04.01.2021 (संलग्न पत्रावली) अनुसार पटवार टेकण के ग्राम कसौटिया की चौसाला गिरदावरी में कही भी आवंटिंत खसरा न. 323/3 का अंकन नहीं है। तथा सम्वत् 2068–71 की गिरदावरी में उक्त खसरा नम्बर की भूमि पडत हैं अतः उक्त प्रकरण में गैर खातेदार व उनके वारीसान द्वारा कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 मे वर्णित आंवटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना पाये जाने पर प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया है।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विपक्षी की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। मामले मे उपखण्ड अधिकारी धरियावद से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 792/2006 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

अप्रार्थी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं होंने से अप्रार्थी के विरुद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी। राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। राजकीय अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम कसोटिया, हाल तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 323/3 रकबा 4 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी श्री गिरिराज पिता भूरालाल महाजन, निवासी भीण्ड़र के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। विपक्षी के पिता श्री भूरालाल पिता सुखलाल महाजन, निवासी भीण्ड़र को उपखण्ड़ कार्यालय धरियावद के प्रकरण संख्या 792/2006 से दिनांक 20.05.2006 को उक्त भूमि का आवंटन हुआ था। उक्त आराजीयात पर विपक्षी का कब्जा नहीं होकर भूमि पथरीली एवं पड़त हैं एवं आवंटन पश्चात विपक्षी के पिता अथवा विपक्षी द्वारा कभी काश्त नहीं की गई हैं। भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। आवंटन द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से विपक्षी के पिता के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:27 IST
Reason: SelfAttested

होने से निरस्त किया जावें। मौके पर विपक्षी के पिता एवं विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करना, मौके पर भूमि पड़त होना, विपक्षी का गैर खातेदार होना जमाबंदी चौसाला सम्वत् 2064–67 की खसरा गिरदावरी की नकल चाही गयी थी। परन्तु विपक्षी द्वारा वांछित वर्ष की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत न करके सम्वत 2068–71 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की गयी। जो कृषि भूमि आंवटन नियम की शर्तो की पालना का सत्यापित नहीं करता है, आदि आधारो पर विपक्षी के पिता के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त किये जाने की मांग की।

हमने राजकीय अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया के प्रार्थना पत्र, विपक्षी के जवाब, आवंटन पत्रावली आदि का आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी के पिता श्री भूरालाल पिता सुखलाल महाजन द्वारा मौजा कसौटिया, तहसील लसाड़िया की साबिक आराजी संख्या 323 मी. मे से भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी के पिता के पक्ष में किया गया है। प्रकरण मे विवाद आवंटन शर्तो की पालना न करने से संबंधित है तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र मे मौके पर विपक्षी का कोई कब्जा नही होना बताया है, तहसीलदार द्वारा प्रकरण मे विपक्षी एवं उसके पिता द्वारा आवंटन के उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न करने का उल्लेख किया है, प्रकरण मे तहसीलदार लसाड़िया द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए लेकिन अप्रार्थी को सम्यक रुप से नोटिस तामील होंने पर उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी को राजस्व ग्राम कसोटिया हाल तहसील लसाडिया जिला उदयपुर को आराजी स. 323/3 रकबा 4 बीघा किस्म बारानी का आवटंन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार लसाड़िया को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 15:55:27 IST
Reason: SelfAttested